राजस्थान सरकार

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः प.1/प्रति–3/न.क./भर्ती/2021/ 8172-73 (1) दिनांकः 17/6/2021

विज्ञापन संख्या 1/2021

कम्पाउण्डर/नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 संशोधित नियम, 2010 एवं संशोधित नियम 2013 एवं 2021 के अन्तर्गत इस विभाग के अधीन कम्पाउण्डर–नर्स जूनियर ग्रेड के निम्न पदों पर नियमित नियुक्ति के लिये सीधी भर्ती हेतु उक्त नियमों में उल्लिखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेब साईट https://nursing.rauonline.in पर दिनांक 24.06.2021 प्रातः 10.00 बजे से ऑनलाईन भरे जा सकते हैं:–

क्र. स.	पदनाम	कुल रिक्त पदो की संख्या	सामान्य सवर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा संवर्ग			अति पिछड़ा संवर्ग			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			निःशक्त जन 4%	विभागीय कर्मचारियों के लिए 10%	उत्कृष्ठ खिलाडी 2%	भूतपूर्व सैनिक 12.5 %
			सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	कम्पाउण्डर/नर्स जूनियर ग्रेड	507	130	55	185	57	24	81	42	18	60	75	31	106	18	7	25	35	15	50	20	50	10	63

नोटः–

1. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, विभागीय कर्मचारियों, उत्कृष्ठ खिलाडियों एवं विशेष योग्यजनों के लिये आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
2. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

(1) आवेदन करने की अंतिम तिथि :–

i) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2021 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकेंगे। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। (नियुक्ति प्राधिकारी को विशेष परिस्थितियों में उक्त तिथियों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।)

(2) आवेदन शुल्कः–

i) सामान्य वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर)/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये 300/– (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र)

ii) अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)/अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर), अनुंसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं निःशक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये रू0 200/– (अक्षरे दो सौ रूपये मात्र) (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी के लिये।)

(3)आरक्षणः–

i) विज्ञापित उक्त पदों की रिक्तियों में आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमानुसार देय होगा।

ii) महिलाओं के 30 प्रतिशत आरक्षण में 8 प्रतिशत विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न) महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार वर्गवार आरक्षण देय होगा। किसी वर्ग (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/अति पिछडा वर्ग)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की पात्र एव उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरा जावेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उनके पिता के नाम/निवास स्थान के आधार पर राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारयों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम/निवास से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

iii) अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/ नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टिया सही–सही एवं पूर्ण भरी गई हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक है।

iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।

v) विज्ञापित उक्त पदों के लिये राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों (Persons With Disabilities) को 4 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज रूप से देय होगा, अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा। विशेष योग्यजन की पृथक से मेरिट सूची बनाकर चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मूल जाति वर्ग के लिए आरक्षित पदो के विरूद्व चयनित माना जावेगा।

नोटः– 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता होने पर ही इस वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा। विभाग द्वारा विज्ञापित इन पदों हेतु पात्र विशेष योग्यजन श्रेणियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

पद नाम	पात्र विशेष योग्यजन श्रेणी
कम्पाउण्डर/नर्स जूनियर ग्रेड	**OL (One Leg)** **LV (Low Vision)** **HH (Hard of Hearing)** **Dwarfism and acid attack victims**

vi) उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों को नियमानुसार 2 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) देय होगा एवं इसका समायोजन उसी प्रवर्ग में किया जावेगा, जिस प्रवर्ग का अभ्यर्थी है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जावेगा और ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जायेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी

आवेदन करे जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ05(31)डी.ओ.पी./ए–II/84 दिनांक 21.11.2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधानः– कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ05(31)डी.ओ.पी./ए–II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाडी से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं, जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने–

1. उक्त सारणी स्तम्भ संख्याक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्याक 3 में उल्लिखित खेल कूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो–

क्रम संख्या	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप का नाम
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्यत सेफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से सम्बद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैम्पियनशिप
7	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

3. इण्डियन ओलम्पिक ऐसोसिएशन या इससे सम्बद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

4. ऐसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

5. इण्डियन ओलम्पिक ऐसोसिएशन/पेरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे सम्बद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैम्पियनशिप/पेरा नेशनल चैम्पियनशिप या नेशलन गेम्स/नेशनल पेरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

नोटः– कृपया उत्कृष्ट श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण–पत्र हो।

vii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पद केवल इन वर्गो के राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे। इन वर्गो के राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी नहीं होने पर अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में माना जायेगा।

viii) राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर एव नॉन क्रिमीलेयर) अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के माने जावेंगे।

ix) विज्ञापित पदों में राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षो के लिये अग्रणीत किया जावेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नही की जाती है तो ऐसे वर्षो को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगणित नहीं किया जावेगा।

x) राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (नॉनक्रीमीलियर) के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।

(4) वेतनमान एवं अन्य सुविधाए:–

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र संख्या F.15(1)FD/Rules/2017, दिनांक: 30-अक्टूबर, 2017 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के प्रोबेशनकाल में निम्न प्रकार नियत पारिश्रमिक देय होगा:–

क. सं.	पद नाम	पे मेट्रिक्स लेवल	प्रोबेशनकाल में देय नियत पारिश्रमिक
1	कम्पाउण्डर–नर्स जूनियर ग्रेड	L-10	23700/–

दो वर्ष की कालावधि का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही उक्त वर्णित नियमित वेतन श्रृंखला देय होगी। चयनित/नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(5) शैक्षणिक योग्यता:–

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या चार वर्षीय बी.एस.सी (आयुर्वेद नर्सिंग), साथ में इर्न्टनशिप परन्तु यह है कि उपरोक्त अर्हक शैक्षणिक योग्यता, जो सीधी भर्ती के लिये नियमों या अनूसूची में यथा उल्लेखित पद के लिये निर्धारित है, आवेदन की अंतिम दिनांक तक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी पद के लिये आवेदन करने के लिये पात्र होगा।

(6) आयु:–

आवेदक 1, जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नही हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ. 7/6/कार्मिक/क–II/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदो के लिये भर्ती नही हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नही दी जावेगी।"

स्पष्टीकरण– आयुर्वेद विभाग राजस्थान द्वारा वर्ष 2018 के बाद उक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी नही होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों एवं सामान्य संवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
2. विधवा एवं परित्यक्ता (विवाह–विछिन्न) महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।

   स्पष्टीकरण :– विधवा अभ्यर्थी के मामले में अभ्यर्थियों को अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और परित्यक्ता (विवाह–विछिन्न) महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सक्षम न्यायालय द्वारा जारी निर्णय/डिक्री प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुर्नविवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
3. राज्य के कार्य कलापों के संबंध में अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर रहे व्यक्यिों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
4. कार्मिक विभाग की अधिसूचना एफ 2(6)डीओपी/ए–II/90 दिनांक 08.04.2010 के नियम 10 का संशोधन में ऐसे विभागीय कर्मचारी जो कम्पाउण्डर/नर्स, कनिष्ठ ग्रेड के पद के लिए अर्हता रखते है, कम्पाउण्डर/नर्स कनिष्ठ ग्रेड के पद पर नियुक्ति के लिए 50 वर्ष तक की आयु तक पात्र होगे।

   राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 एवं संशोधन नियम 2021 के नियम 10 के परन्तुक के अनुसार राजस्थान राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बी.पी.एल., जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के तहत् कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को निरन्तर सेवा में रहने पर सेवा अवधि के वर्षो के आधार पर आयु में छूट देय होगी जो कि अधिकतम 5 वर्ष तक होगी।

(7) चयन का आधार:–

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 एवं संशोधित नियम 2013 व संशोधित नियम 2021 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत अभ्यर्थियों को बोनस अंक देय है।

1. इन विज्ञापित पदो के लिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के अन्तर्गत विज्ञापित पद के समान कार्य (Similar Work) पर कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक देय होगे। एक वर्ष से कम अवधि के लिये कोई बोनस अंक देय नही होगा।
2. कम्पाउण्डर/नर्स जूनियर ग्रेड पदों की सीधी भर्ती के लिए वरियता सूची उक्त नियमों के नियम 19 एवं तद्न्तर्गत जारी अधिसूचना कमांक प.10(11) आयु./2012 पार्ट I दिनांक 4.10.2018 में वर्णित प्रावधानों के तहत् तैयार की जावेगी। जिसके अनुसार राजस्थान राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के तहत् कार्यानुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30 प्रतिशत वेटेज बोनस अंक दिये जायेगे। प्रत्येक एक पूर्ण

वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिक अवधि के कार्यानुभव के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जावेगे (365 दिवस पूर्ण होने पर ही एक वर्ष माना जावेगा) एवं 70 प्रतिशत वेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत प्रतिशत को दिया जायेगा।

3. सीधी भर्ती हेतु वरियता सूची तैयार करने हेतु 70 प्रतिशत वेटेज अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 में संशोधन नियम, 2013, संशोधित नियम 2021 एवं उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत प्रतिशत दिया जायेगा, अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी अर्हक परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये है एवं उसे 3 पूर्ण वर्षो का बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है तो उसका प्रतिशत $80 \times 70 \div 100 + 30 = 86$ औसत प्रतिशत होगा एवं यदि किसी अभ्यर्थी जिसे बोनस का लाभ नहीं मिलना है, कि अर्हक परीक्षा में प्राप्तांक 80 प्रतिशत है तो नियुक्ति के उद्देश्य के लिए उसका प्रभावी प्रतिशत $80 \times 70 \div 100 = 56$ अंक औसत प्रतिशत होगा। वरियता सूची तैयार करने हेतु यह प्रक्रिया अपनायी जावेगी।
4. विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।
5. वरियता सूची मे चयनित अभ्यर्थियों को पात्रता दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अन्य योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र आदि समस्त दस्तावेजों का सत्यापन, पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने होगें।

(8) चयन के लिये अयोग्यता:–

1. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां है सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है के आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दें। अन्यथा इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं होगी।
2. कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने पश्चात कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, के आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छुट न दे दें। अन्यथा इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं होगी।
3. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक जीवित बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विध्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती परन्तु यह और कि जहॉ किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते है वहॉ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा, परन्तु यह भी कि अभ्यर्थी की कुल संतानों की गणना करते समय पूर्वतर प्रसव से पैदा और निःशक्तता वाली संतान की गणना नही की जायेगी।

   विशेष नोट :– अभ्यर्थी के बच्चों की कुल संख्या की गिनती करते समय डिसएबिलिटि (Disability) वाले बच्चों के संदर्भ में कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–ाा/95/पार्ट–।। दिनांक 24 फरवरी, 2011 के प्रावधान लागू होगें।
4. आयोग/सरकार/किसी सक्षम न्यायलय द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ती के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माने जावेंगे।
5. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22 मई, 2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे।

6. आवेदक के लिये राजस्थान आयुर्वेदिक, युनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966, संशोधित नियम, 2010 एवं संशोधित नियम 2013 एवं 2021 में यथाविहित समस्त अन्य योग्यताऐं पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिये।
7. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।

(9)दस्तावेजों का सत्यापनः–

1. वरियता सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेंजों के सत्यापन हेतु आहुत करने पर तय स्थान पर व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु आहुत अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र मय चैक लिस्ट विभाग द्वारा तय निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके साथ अभ्यर्थी द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति ऑनलाईन आवेदन के समय घोषित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता/ अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति/वर्ग प्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों /प्रमाण पत्रों आदि कि प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी और विभाग द्वारा बुलाये जाने पर उक्त दस्तावेजो की मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। मूल प्रमाण पत्रों से प्रस्तुत दस्तावेजो का मिलान नहीं करने पर आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं कि जायेगी। यदि आवेदक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को समस्त दस्तावेजों सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है तो आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
3. दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही उनकी नियुक्ति बाबत विचार किया जावेगा। आवेदन पत्र में उल्लेखित एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजो को सत्यापन करने वाली संस्था/सक्षम अधिकारी के कार्यालय से सत्यापन होने के पश्चात ही मूल दस्तावेज लौटाये जावेंगे।
4. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर ही चयन प्रक्रिया में प्रोविजनल रूप से सम्मिलित किया जावेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत/घोषित दस्तावेजो की वैधता एवं पात्रता संबधी जांच करवाने का समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
5. कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जानबूझकर भ्रामक सूचना देने पर आवेदक का आवेदन निरस्त करने के साथ आपराधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

(सीमा शर्मा)
निदेशक

कार्यालय..

क्रमांकः–

दिनांकः–

<u>अनुभव प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री... निवास............................. की नियुक्ति.............................. के आदेश क्रमांक.. दिनांक...................... के द्वारा कम्पाउण्डर/नर्स के पद पर संविदा/अनुबंध/अस्थाई आधार पर.................................. संस्था/परियोजना में की गई थी, जो इस पद पर दिनांक............... से दिनांक........................ तक कार्यरत है/रहा है/रही है। इनकी उक्त पद पर कुल कार्य अवधि.......................... वर्ष............... माह................ है।

हस्ताक्षर

नामः–
पदनामः–
कार्यालय स्टाम्पः–

1. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग/प्राचार्य मेडिकल/डेन्टल कॉलेज/अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह/पीएमओ/सीएमएचओ/कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर/निदेशक एसएमयू/निदेशक आर.आर.सी./सरकार द्वारा संचालित परियोजना के लिये परियोजना निदेशक अथवा सक्षम अधिकारी को उनके अधीन कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी माना जावेगा। यदि विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के सत्यापन के पश्चात ही बोनस अंक/आयु में शिथिलता नियमानुसार दी जावेगी एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर बोनस अंक देय नहीं होंगे एवं इसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोटः– अनुभव अवधि की गणना इन पदो की इस भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि के ठीक पूर्व दिवस तक की जावेगी।